(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में नहरों के निर्माण के लिये कोई योजना नहीं बनाई है । तथापि, योजना आयोग ने गुजरात की पिगुट एवं वलदेवा सिंचाई परियोजना के कुछ नहर कार्यों के लिये वर्ष 1994–95 के दौरान 82.77 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की ।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबद्ध व्यक्ति

5029. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात के अहमदाबाद, बडोदरा, सूरत, भरूच, और पंच महल जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध व्यक्तियों के बारे में प्रमाणित आंकड़े प्राप्त करने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन जिलों में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिये उनकी आबादी के अनुपात में किसी धनराशि का आबंटन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने बताया है कि जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध, ऐसे सर्वेक्षण का कोई विचार नहीं है । योजना मंत्रालय सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार उनके द्वारा कई दौर के सर्वेक्षण किए गए हैं । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित सर्वेक्षण पर आधारित गरीबी तथा सम्बद्ध अनुमान/सांख्यिकियों योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है । 50वें दौर का पंचवर्षीय सर्वेक्षण जुलाई, 1993 से जून, 1994 के दौरान किया गया है । इसके परिणाम वित्तीय वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है । इस सर्वेक्षण में गुजरात राज्य सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना नीति में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में राज्य की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में आबंटन किए जाते हैं । विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए समुचित निधियां आवंटित करना राज्य सरकार का विवेक है ।

गुजरात में बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिये योजनायें

5030. **श्री संघ प्रिय गौतम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंद्ध बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए अब तक जिलेवार कौन कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितनी लड़कियों को शामिल किया गया है और उनके चयन के लिये क्या मापदंड अपनाये गये हैं ;

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन कराने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ङ) कम साक्षरता वाले पाकेटों के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का गुजरात के कच्छ तथा बनास कांठा जिलों में कार्यान्वित किया गया । अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए ऐसी कोई योजना गुजरात में शुरू नहीं की गई है । अनुसूचित जाति लड़कियों और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत जिलों के चयन का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । इन योजनाओं के अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष	प्रावधान की गई राशि (रु० लाख में)	होस्टलों/ परिसरों की संख्या	शामिल की गई लड़कियों की संख्या	लड़कियों के चयन के लिए मानदंड
1.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए शैक्षिक परिसरों की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	1992–93	शून्य	शून्य	शून्य	योजना कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठन द्वारा निर्णय किया जाता है ।
		1993–94	25 327	4	200	
		1994–95	24.26	1	50	
2.	अनुसूचित जाति की लड़कियां के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना	1992–93	शून्य	शून्य	शून्य	राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है ।
		1993–94	15.06	3	150	
		1994–95	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना	1992–93	18.21	4	97	—यही—
		1993–94	19.51	3	230	
		1994–95	4.73	4	373	

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण की योजना के अंतर्गत कुछ चुने हुए राज्यों में कुछ विख्यात अनुसंधान एजेंसियों को मूल्यांकन अध्ययनों के लिए कहा गया है । अन्य परियोनाओं का मूल्यांकन उचित समय पर किया जाएगा ।

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लड़कियों के शक्षिक विकास के लिए गुजरात में ऐसी कोई योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए गुजरात में विभिन्न अन्य केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अतर्गत लड़कियां भी शामिल की जाती हैं ।

अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सहायता

5031. **श्री अजीत** पी० के० **जोगी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ;